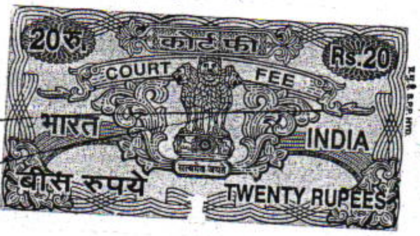

(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /रेस्टोरेशन विविध 3221-9032-I-16

जगदीश पुत्र कृष्णराव दीक्षित मृत
द्वारा उत्तराधिकारीगण

1. संजीव दीक्षित पुत्र स्व. जगदीश दीक्षित
2. विनय दीक्षित पुत्र स्व. जगदीश दीक्षित
3. शीला पत्नी स्व. जगदीश दीक्षित

निवासीगण ग्राम–बढ़पुरी तहसील–अटेर
हाल निवासी–गोविन्दपुरी थाठीपुर ग्वा.

विरूद्व

1. मनोज कुमार पुत्र कैलाश नारायण
द्वारा संरक्षक मां रामादेवी पत्नी
कैलाश नारायण शर्मा
निवासी ग्राम–बढपुरी तहसील–अटेर
जिला–भिण्ड
2. कृष्णकुमार
3. कैलाशनारायण

पुत्रगण विशेश्वर दयाल दीक्षित
निवासीगण क्रमांक–2 75/137 रंजीतपुरवा
घनकुट्टी कानपुर, क्रमांक–3 198–581 (के)
किदवई नगर कानपुर ———अनावेदकगण

1/3/16

1-3-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 224–3/2003 को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, मूल आवेदन जगदीश पुत्र कृष्णराव दीक्षित ने अपर आयुक्त चम्बल संभाग के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं अनावेदक की तामिल हेतु निरन्तर प्रचलित रहा.

2. यह कि, आवेदक जगदीश की मृत्यु दिनांक 24–08–2015 को नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में हो गयी थी इसकी जानकारी उनके अभिभाषक को भिण्ड में रहने वाले एक पक्षकार द्वारा दिये जाने पर अभिभाषक ने आवेदक जगदीश के ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से पत्र भेजा जो डाक विभाग द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया

1-3-16

Revision. 90-32A/16 भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
09.6.16	आवेदक अधि० द्वारा यह रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये गये। रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी प्रकरण क्र. R. 224-III/03 पुनर्स्थापित किया जाता है। रेस्टोरेशन आवेदन पत्र समाप्त किया जाता है। [signature] सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—766--फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.